न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 70 / 2024

श्री शिवराज मीना (पत्रकार टोक राज.) ग्राम सहादतनगर थाना अलीगढ जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. प्रार्थी पत्रकार शिवराज मीणा निवासी सहादतनगर थाना अलीगढ के विरूद्व पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार मीना द्वारा दर्ज कराये गये अलीगढ थाने पर झूठे / मनगंढत मुकदमा के संबंध मे दबाब बनाने के लिए बिना प्रमामिण तथ्यो / सबूतों के पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग सरपंच संध, मंत्रालयिक कर्मचारियों के संयुक्त संध सहित अन्य विभागीय अधिकारी / कार्मिकों द्वारा प्रार्थी को कथित पत्रकार व असामाजिक तत्व बताकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी उनियारा को 10 से 18 जुलाई 2023 एवं सितम्बर 2024 में दिये गये समस्त ज्ञापनों / शिकायतों की सत्यापित प्रतियॉ / रिकार्ड चाहने बाबत्।
2. प्रार्थी पत्रकारी को षड़यंत्रपूर्वक धारा 151 का थाना अलीगढ द्वारा 11.07.2023 की देर रात्रि 9—10 पीएम पर श्रीमान् के उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से किस आदेश / नियम के तहत नियम विरूद्व तत्कालीन एस.डी.एम. साहब त्रिलोक चन्द मीणा जी की गैर मोजूदगी में बिना किसी अपराध के पक्ष सुने बिना ही कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक श्री सीताराम कवंरिया द्वारा 9:30 पीएम पर रात्रि में ही जेल भिजवाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में सत्यापित रिकार्ड / प्रतिया चाहने बाबत्।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा को पत्र कमांक 1850 दिनांक 13.12.2024, 3 दिनांक 1.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र कमांक 89 दिनांक 03.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 3321 दिनांक 09.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक